न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 108/2011/225 आरटीए

सहीराम पुत्र रामलाल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. प्रेम पुत्र पूर्ण जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र पूर्ण जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र पूर्ण जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. धन्नी देवी बेवा लालचन्द जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. गुगनराम पुत्र लालचन्द जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. श्यामलाल पुत्र लालचन्द जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. तारादेवी पुत्री लालचन्द जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री लालचन्द जाति चमार निवासी भूकरका तहसील नोहर।

––असल रेस्पो0

9. साधुराम पुत्र रामलाल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
10. जगदीश पुत्र चानणमल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. लालचन्द पुत्र चानणमल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
12. दीपचन्द पुत्र चानणमल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
13. ताराचन्द पुत्र चानणमल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
14. लिछमा देवी बेवा चानणमल जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
15. औमप्रकाश पुत्र नौरंगराम जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।
16. रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति छिम्पा निवासी भूकरका तहसील नोहर।

–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.03.2001 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर जिसके द्वारा वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज किया व आदेश दिनांक 02.01.2006 जिसके द्वारा प्रा0प0 आदेश 9 नियम 9 खारिज किया गया उक्त आदेश को अपास्त किये जाने हेतु

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक –15.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद दिनांक 12.03.2001 को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दिया जिसको रेस्टोर करवाने हेतु वादी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत किया जो भी दिनांक 02.01.2006 को खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2001 व आदेश दिनांक 02.01.2006 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्याय के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया था कि अपीलांट/वादी के अभिभाषक ने काफी समय से अदालत मे आना बंद कर रखा था जिसका पता प्रार्थी को दिनांक 01.05.2001 को तब पता चला जब प्रार्थी ने अदालत मे अपनी तारीख पेशी पता करने के लिए आया तब ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के अभिभाषक ने नोहर राजस्व न्यायालय मे आना बंद कर दिया है व वकालत करनी छोड़ दी है। महेन्द्र बोहरा टाईपिस्ट ने उसकी फाईल वापिस दे दी जिस पर तारीख पेशी 06.08.97 के बाद दर्ज नही थी। अपीलांट ने अन्य अभिभाषक नियुक्त कर पत्रावली का अवलोकन करवाया तो दिनांक 10.05.2001 को पता चला कि वादी का दावा दिनांक 12.03.2001 को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज किया जा चुका है। जिसे पुनः सुनवाई हेतु चलवाना चाहता है। अभिभाषक द्वारा राजस्व न्यायालय मे पैरवी न करने के कारण प्रार्थी अपीलांट का दावा अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। परन्तु दिनांक 02.01.2006 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जो अपास्त योग्य है। बाधोदेवी मृतक के वारिसान पहले से ही पत्रावली पर मौजूद थे मृतक लालचंद के वारिसान वाद रेस्टोर करने के बाद ही पक्षकार बनाये जा सकते है।

4. अपीलांट ने गलती से वाद मे अबेटमेंट मानकर आदेश 22 नियम 9,2 के एवं आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया क्योंकि अपीलांट द्वारा पूर्व मे अभिभाषक को पूर्ण कागजात नही दिये गये थे वाद की पत्रावली साथ संलग्न होने पर अपीलांट को समस्त तथ्य बतलाये गये जिस पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 विड्रा किया गया। अभिभाषक की गलती के लिए प्रार्थी को दण्डित किया जाना कतई न्यायोचित नही है। वादी को पता चलने पर उसने उपसमन कार्यवाही ड्राप करने हेतु गलती से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जबकि अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 9 के उपनियम 2 की अवज्ञा मे आदेश पारित किया है जबकि नियम के

तहत विरोधी पक्षकार को सूचना दिये जाने के बाद ही कोई आदेश पारित करना चाहिए था विचारण न्यायालय ने गैर कानूनी तौर से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2008(1) पेज 460 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा अपनी अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2001 को वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी बाबत रेस्टोर वाद पेश किया गया जो इस आधार पर खारिज कर दिया कि बाधोदेवी व लालचंद का 3 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। किन्तु प्रार्थी ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अबेट हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोर वाद खारिज कर दिया गया। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने वाद मे अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ था तथा अधिवक्ता के कहे अनुसार अपीलांट न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। दौराने वाद अधिवक्ता द्वारा वकालत करनी छोड़ देने के कारण ना तो अधिवक्ता उपस्थित हुआ और ना ही अपीलांट/वादी उपस्थित हुआ। इसलिए अभिभाषक की गलती के लिए अपीलांट/वादी को दण्डित नही किया जा सकता है। जहां तक प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज करना कि वाद वर्णित पक्षकार बाधोदेवी व लालचंद की मृत्यु हो चुकी है और उसके वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है तो वाद रेस्टोर होने के बाद भी मृतक पक्षकारो के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा सकता था। इसके बाद भी मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया जाता तो दावा अबेटमेंट मानकर खारिज किया जा

सकता था। परन्तु अपीलांट दावा अदम पैरवी मे खारिज होने तक पूर्व की स्थिति का ज्ञान नही था। क्योंकि समस्त कार्यवाही अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा की जाती रही है। उपरोक्त परिस्थितियों अपीलांट स्वीकार की जाकर वाद पुनः सुनवाई हेतु रेस्टोर शास्ति लगाकर किया जाना उचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2001 व आदेश दिनांक 02.01.2006 को निरस्त किया जाता है तथा वाद पुनः सुनवाई हेतु रेस्टोर 2000/रू शास्ति पर किया जाता है। अपीलांट उक्त शास्ति राशि राजकोष मे जमा करवाने पर वाद रेस्टोर किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़